

**समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड**  
(क) परिवारिक विदाहित महिला (यू) मासिक पत्र से विकृत व्यक्ति की पत्नी (ग) निराश्रित  
अविवाहित महिलाओं हेतु भरण-पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना पत्र)

नवीनतम फोटो जो ग्राम  
प्रधान/सदस्य क्षेत्र  
पंचायत, जिला पंचायत,  
असत्य/समास्य नगर  
पालिका/पंचायत, ग्राम  
पंचायत विकास अधिकारी  
से सत्यापित

1. पेंशन योजना का नाम (क अथवा ख अथवा ग के अनुसार).....

2. बी.पी.एल. नम्बर या बी.पी.एल. राशन कार्ड या वार्षिक आय  
(उपरोक्त में से कोई एक).....

3. आवेदक का नाम.....

4. पिता/पति का नाम.....

5. स्थायी पता:-  
ग्राम/मौहल्ला..... पोस्ट.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम..... न्याय पंचायत.....  
विकास खण्ड..... तहसील..... जनपद.....

6. पत्र व्यवहार का पता (यदि स्थायी पते से अलग रह रहे हो)  
ग्राम/मौहल्ला..... पोस्ट.....

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम..... न्याय पंचायत.....  
विकास खण्ड..... तहसील..... जनपद.....

7. जन्मतिथि/अयु..... (रजिस्टर भाग-दो/फोटो पहचान पत्र/ शैक्षिक अभिलेख के आधार पर)

8. परिवार का विवरण:-

क्रम सं०	परिवार के सदस्यों का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	जन्मतिथि	आवेदन के समय आयु	व्यवसाय

9. जाति.....

10. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम जहाँ पेंशन भुगतान हेतु खाता खोला जायेगा.....  
(यदि पूर्व से खाता खुला है तो उसका खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम)

11. किसी अन्य श्रोत से पेंशन/सहायता मिलती है। हॉ/नहीं.....  
यदि हॉ तो उसका विवरण.....

**अभ्यर्थी द्वारा घोषणा**

मैं..... घोषणा करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगी।

किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूँगी।

दिनांक:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

कृ०प०उ०.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कु०..... पत्नी/पुत्री श्री.....  
(पेंशन का प्रकार अंकित करें) पेंशन हेतु पात्र है, जिस हेतु निम्न प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न है-

- परित्यक्ता विवाहित महिला के मामले में राश्री के बरत पति द्वारा छोड़े गये काल की अवधि 7 वर्ष से अधिक हो जाने काल पति के 7 वर्ष से अधिक समय से लापता होने की कुल 30 अडसलदार/उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति की पत्नी को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृति हेतु सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित महिला के पति के मानसिक विकसित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- अविवाहित महिला को भरण-पोषण अनुदान स्वीकृति हेतु आवेदन की उम्र (50 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- बी.पी.एल. कार्ड /आय प्रमाण-पत्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय-प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जाँच की गयी तथा जाँचोपरान्त प्रार्थी श्रीमती/कु०.....  
पत्नी/पुत्री श्री..... (पेंशन का प्रकार अंकित करें) ..... पेंशन हेतु पात्र  
पायी गयी तथा उन्हें पेंशन स्वीकृत की जाती है।

**अथवा**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय-प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जाँच की गयी तथा जाँचोपरान्त प्रार्थी श्रीमती/कु०.....  
पत्नी/पुत्री श्री..... (पेंशन का प्रकार अंकित करें) ..... पेंशन हेतु पात्रता  
में नहीं आती हैं, अतः उनका प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

**ग्रामीण क्षेत्र हेतु**

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
के हस्ताक्षर व मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर  
एवं मुहर

**शहरी क्षेत्र हेतु**

सहाय समाज कल्याण अधिकारी  
के हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट  
के हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

1. उपरोक्त पेंशन योजना के निर्धारित मानकों को पूर्ण करने के फलस्वरूप श्रीमती/कु०..... पत्नी/पुत्री  
श्री..... का रू०..... मासिक भरण पोषण भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती  
है।
2. उपरोक्त पेंशन योजना के निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने के फलस्वरूप श्रीमती/कु०..... पत्नी/पुत्री  
श्री..... को भरण-पोषण भत्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है।

जि०स०क० अधिकारी